नकल संबोल सं०- 17469 दिनांक 05/09/22

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मेरठ।

वाद संख्या N 2/2012 — धारा 143 जे०ए० एण्ड एल०आर० एक्ट

श्री सेन्ट गिरी एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट आदि — बनाम — उ०प्र० सरकार

ग्राम रैसना परगना तहसील व जिला मेरठ।

:: निर्णय ::

श्री सेन्ट गिरी एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट ग्राम राली चौहान द्वारा प्रबंधक श्री आर०के० गिरी एडवोकेट पुत्र मरहूम श्री आर०सी० गिरी एवं श्री सेन्ट गिरी एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष श्रीमती शशीबाला गोस्वामी पत्नि आर०के० गिरी एडवोकेट निवासी 224/6 शास्त्री नगर मेरठ द्वारा धारा 143 उ०प्र०ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना- पत्र मय शपथ- पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी संस्था ने भूमि खाता संख्या 00060 के खसरा संख्या 36 रकबा 0.4720 हे० स्थित रैसना परगना तहसील व जिला मेरठ को बजरिये रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 03.08.2009 द्वारा खरीदी है। उक्त भूमि वर्ष 2009 से ही कृषि प्रयोग में नहीं ला जा रही है, बल्कि मौके पर सेन्ट गिरी पब्लिक स्कूल बना है। उक्त स्कूल में नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्रार्थी संस्था ने उक्त भूमि को धारा 143 उ०प्र०ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक घोषित कराने का अनुरोध किया है। प्रार्थी की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य मे ग्राम रैसना परगना तहसील व जिला मेरठ की उद्धरण खतौनी वर्ष 1416 ता 1421 फसली बाबत् खाता संख्या 00060, नकल खसरा बाबत् 1419 फसली एवं स्थलीय फोटोग्राफ दाखिल की गयी है।

प्रस्तुत प्रार्थना- पत्र पर तहसील मेरठ से आख्या प्राप्त की गई, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। तहसीलदार मेरठ द्वारा दिनांक 25.04.2012 को उ०प्र०ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 व नियम 135 के अन्तर्गत आख्या प्रस्तुत की गयी। आख्या में उल्लिखित किया गया है कि ग्राम रैसना परगना तहसील व जिला मेरठ में स्थित षटवार्षिक खतौनी 1416 से 1421 फसली के खाता संख्या 60 के खसरा संख्या 36 रकबा 0.472 हे०, भू-राजस्व 19/— रु० पर सैन्ट गिरी एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट ग्राम राली चौहान द्वारा प्रबंधक आर०के० गिरी एडवोकेट पुत्र आर०सी० गिरी निवासी 224/6 शास्त्री नगर मेरठ के नाम भू- अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर में से 0.472 हे० भूमि पर स्कूल का भवन बना है एवं कृषि सम्बन्धी कार्य जिसमें कुक्कुटपालन, बागवानी, मत्स्यपालन आदि कृषि का कार्य लगभग 3 वर्षों से नही किया जा रहा है। तहसील आख्या में उक्त भूमि खाता संख्या 60 के खसरा संख्या 36 रकबा 0.472 हे० भूमि को धारा 143 जे०ए० एण्ड एल०आर० एक्ट के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त वर्णित भूमि राजस्व अभिलेखों में श्री सैन्ट गिरी एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट ग्राम राली चौहान द्वारा प्रबंधक श्री आर०के० गिरी एडवोकेट पुत्र मरहूम श्री आर०सी० गिरी एवं श्री सैन्ट गिरी एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष श्रीमती शशीबाला गोस्वामी पत्नि आर०के० गिरी एडवोकेट निवासी 224/6 शास्त्री नगर मेरठ के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। तहसीलदार मेरठ की आख्या दिनांक 25.04.2012 तथा नक्शा नियम 135 उ०प्र०ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था नियमावली से स्पष्ट है कि भूमि खाता संख्या 60 के खसरा संख्या 36 रकबा 0.472 हे०, लगानी 19/- पर भवन बना है, भूमि में कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन का कार्य नहीं हो रहा है। अतः यदि भविष्य में प्रश्नगत भूमि का क्रय- विक्रय होता है, तो प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित न करने पर राज्य सरकार को स्टाम्प राजस्व की हानि होगी। तहसील आख्या में प्रश्नगत भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर तहसील आख्या दिनांक 25.04.2012 स्वीकार किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम रैसना परगना तहसील व जिला मेरठ स्थित भूमि खाता संख्या 00060 के खसरा संख्या 36 रकबा 0.4720 हे० भूमि लगानी 19/- रु० को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा परता लगान माफ किया जाता है। तहसील आख्या

क्रमशः पृष्ठ 2 पर ———

दिनांक 25.04.2012 एवं नक्शा–नियम 135 आदेश का अंग रहेंगे। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय–समय पर शासकीय संस्थाओं यथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद अथवा अन्य के द्वारा यदि कोई शर्त/प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाए जाते है, जो इस पर पूर्णतः लागू होंगे तथा उक्त आदेश मेरठ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 को अतिक्रमित (Supersede) नहीं करेगा। यदि मेरठ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 के विपरीत यदि स्थल पर कोई कार्य किया जाता है, तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। आदेश की प्रति उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मेरठ एवं उपनिबंधक मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए, तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक :-04-05-2012

(अरविन्द कुमार मिश्र)
उप जिलाधिकारी,
मेरठ।

आज यह निर्णय/आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक :-04-05-2012

(अरविन्द कुमार मिश्र)
उप जिलाधिकारी,
मेरठ।

6 SEP 2022

16 SEP 2022

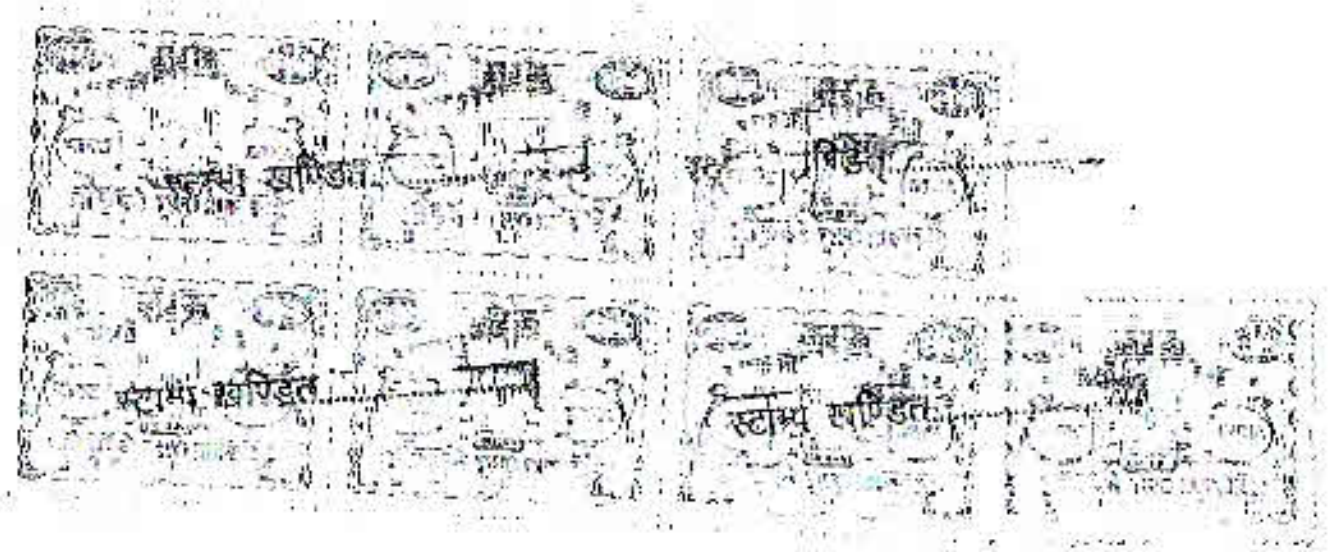
स्तम्भ खण्डित
स्तम्भ खण्डित
स्तम्भ खण्डित